

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु- धुनियारा- थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

1-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु- धुनियारा- थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु सिविल सोयम 3.218 है० आरक्षित वन भूमि 0.315 है० सम्पूर्ण योग 3.533 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और प्रस्ताव में सलंगन है।

उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

ग) परियोजना की लागत

रु० 52.50 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

5.00 है० से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

लगभग 34000 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :

आरक्षित वनभूमि : 0.315 है०,

सिविल सोयम भूमि - 3.218 है०

योग - 3.533 है०

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का शून्य विवरण यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या -

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

ग) पुर्णवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) -

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आवश्यकता नहीं है। अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हॉ/ नहीं)

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग देने हेतु वचनबद्ध है।

प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है।


दिनांक.....

स्थान :- पुरोला


(सुरेन्द्र शर्मा)


कनिष्ठ अभियंता

निं०ख०, लो०नि०वि०, पुरोला


(डी०एस० रावत)

सहायक अभियंता

निं०ख०, लो०नि०वि०, पुरोला


(सी०पी० सिंह)

अधिशासी अभियंता

निं०ख०, लो०नि०वि०, पुरोला

प्रारूप-4

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।

29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। -हाँ।

30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

जंगल दोत्रांधिकारी
कोटीगाड रेज

b
Divisional Forest Officer
Tons Forest Division
Purola (Uttarkashi)

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :—मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में किराणु—धुनियारा—थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

- I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्ड
- II. जिला - उत्तराखण्ड
- III. जिला वन प्रभाग - पुरोला (शैनन धनपुरांग)
- IV. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र - रिजर्व/संग्रहालय (3,533 हेक्टर)

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः - रिजर्व/संग्रहालय

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: संहरण

- I. वन का प्रकार - उपोष्ठा संकाण स्त्रीपत्नी प्रजाति वन
- II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व - 0.2
- III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना - संहरण
- IV. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा - संहरण

19. भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी - सामाजिक

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : - 21 km.

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : -

- I. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : -
- II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याधि रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं /
- III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - बही /
- IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याधि रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) - नहीं /

- V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे - नहीं।
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) - नहीं।
23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। - हाँ।
 - यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। -
24. किए गए अतिकमण के ब्यौरे :
- क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/ नहीं)
 - यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही - नहीं।
- III. क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/ नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। - सिविल
 - अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। - किराण अधिकारी
 - क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्षित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। - नहीं।
- रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)।
 - क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : - संहिता है।
 - क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों - हाँ।

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रातारीख:

द्वंद्व क्षेत्राधिकारी
कोटीगाड रेज़ि.

१०/१
S.P.O
Tons Forest Division

6
Divisional Forest Officer
Tons Forest Division
Amitola (Uttarkashi)